

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : एफ 7(447)/सी.एस.एस./प्लान/2018-19/8015-8136 दिनांक : 10/07/2018

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
कृषि विभाग,
समस्त।

विषय:- विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित फण्डिंग पैटर्न से सम्बन्धित सूचना भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 7(447)/सी0एस0एस0/प्लान/2018-19/6780-6920 दिनांक 26.06.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित फण्डिंग पैटर्न अनुरूप में राज्य निधि (SF) एवं केन्द्रीय सहायता (CA) में बजट आवंटन किया गया है। आवंटित बजट का फण्डिंग पैटर्न अनुरूप व्यय सुनिश्चित किये जाने हेतु विभाग द्वारा बजट परिपत्र दिनांक 26.06.2018 भी जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निम्न प्रारूप में आपके कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मी या बिल तैयार करने वाले कार्मिक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित फण्डिंग पैटर्न में राशि का व्यय किये जाने की पूर्ण जानकारी है इसका प्रमाण पत्र 7 दिवस में योजना शाखा को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

कार्यालय का नाम

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे एवं कार्यालय के लेखाकर्मी/बिल क्लर्क द्वारा विभाग द्वारा जारी बजट परिपत्र दिनांक 26.06.2018 का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित फण्डिंग पैटर्न में राशि का व्यय किये जाने के सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं है।

(नाम एवं हस्ताक्षर आहरण एवं वितरण अधिकारी)
पद मद सील

जिन आहरण एवं वितरण अधिकारियों को विभाग द्वारा जारी बजट परिपत्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो वे योजना शाखा, आयुक्तालय के श्री हरीश सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड II। (फोन नं० 9829823054) से सम्पर्क कर सकते हैं।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक : एफ 7(447)/सी.एस.एस./प्लान/2018-19/8015-8136 दिनांक : 10/07/2018

1. प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
2. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रारूप में आपके अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों से प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग।
4. समस्त स्कीम/कम्पौनेन्ट प्रभारी, मुख्यालय, जयपुर।
5. परियोजना निदेशक (विस्तार) सीएडी, कोटा।
6. उप निदेशक कृषि (विस्तार) आईजीएनपी, बीकानेर।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

3. ACP, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि
340 पत्र को विभागीय website पर
अपलोड कर ले कर भन करवावे।

(एल0एन0कुमावत)
अतिरक्त निदेशक कृषि (विस्तार)